8

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकःशिविरा / प्रांर / शैक्षिक / बी / 3515 / नि.अ.शि.अ / 10–11 दिनांक 03/9/10

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,

विषयः– शिक्षा के अधिकार कानून के तहत विशेष प्रशिक्षण में नांमाकित बालको–बालिकाओ का आयु अनुरुप कक्षा में प्रवेश देने हेतु संस्थाओ को निर्देश जारी करने के क्रम में।

प्रसंगः– आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद जयपुर का पत्रांक :– राप्राशिप / जय / वै.शि / प.26 / 10–11 / 27529 / दिनाक 16 / 8 / 10

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के सबंध में लेख है कि इस वर्ष अनामांक्ति एवंम ड्राप आउट बालक बालिकाओ को शिक्षा की मुख्य धारा से जोडने हेतु विशेष प्रशिक्षण यथा आवासीय ब्रिजकोर्स शिविर,गैर आवासीय ब्रिज कोर्स शिविर एवं शिक्षा मित्र केन्द्र आयोजित किऐ जा रहे है। शिक्षा का अधिकार कानून के अनुसार ऐसे अनांमाकित एवं ड्राप आउट बालक बालिकाओ को विशेष प्रशिक्षण देने से पूर्व उनको आयु अनुरुप कक्षा में नामांकित कराया जाना अनिवार्य है तथा आर.टी.ई. शिक्षा का अधिकार कानून की धारा 14(2)के अनुसार किसी भी बालक को जन्मतिथि का प्रमाण पत्र नही होने के आधार पर प्रवेश देने से इन्कार नही किया जाएगा।

अतः आप अपने अधीनस्थ समस्त विद्यालयो के संस्था प्रधानो को आयु अनुरुप बालक–बालिकाओ को कक्षा में प्रवेश दिलवाने हेतु तत्काल निर्देश जारी करें। उक्तानुसार नामाकन पश्चात प्राप्त संख्या को आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद जयपुर एवं इस कार्यालय को 10 दिन में अवगत करावें ताकि नामाकन पश्चात विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित हो सकें।

अतिरिक्त निदेशक(शैक्षिक)
प्रारम्भिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1.आयुक्त राजस्थानप्रारम्भिक शिक्षा परिषद,जयपुर।
2.निदेशक माध्यमिक शिक्षा,बीकानेर।
3समस्त उप निदेशक प्राशि,को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त उक्त अपने अधीनस्थ समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,प्रारम्भिक शिक्षा को आज ही फैक्स करावें तथा पत्रानुसार पालना सुनिश्चित करावें।
4.सम्पादक शिविरा पत्रिका को प्रकाशनार्थ 7 प्रतियो में प्रेषित है।
5 सहायक निदेशक,शिक्षक प्रशिक्षण / शिक्षक संस्थापन अनुभाग

अतिरिक्त निदेशक(शैक्षिक)
प्रारम्भिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर